GAMS-2022/31

APP-A
Crim-I

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत जिला कलेक्टर मुकाम टोंक

रमेश चन्द बनाम TDR उनियारा

किस्म मुकद्दमा प्रा.पत्र. नं. 27 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.2.22	अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 54 राज0 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 समाअत अदालत है। दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि प्रार्थीगण के पिता को ग्राम सूथड़ा तह0 उनियारा में दिनांक 16–6–1976 को आराजी खसरा नम्बर 1/1 रकबा 10 बीघा भूमि का आवण्टन किया गया था जिसका राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया गया था। आवण्टन के पश्चात लगातार आवण्टी का कब्जा काश्त चला आ रहा था। आवण्टी के देहान्त के बाद उसके वारिसान/प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण द्वारा राज्य सरकार के यहॉ भूमि की कीमत की राशि जमा करवा दी है, कोई राशि भी बकाया नहीं है प्रार्थीगण द्वारा की गई काश्त का विवरण भी विभिन्न वर्षों की खसरा गिरदावरी में अंकन किया जा रहा है। आवण्टन आदेश आज तक यथावत हैं। प्रार्थीगण का लगातार 47 साल से उक्त भूमि पर कब्जा काश्त होने से स्वतः ही खातेदारी राईट्स निहित हो चुके हैं। इस कारण जमाबन्दी में गैर खातेदारी से खातेदारी का अंकन करवाया जाना आवश्यक है, ताकि प्रार्थीगण हर प्रकार से उसका उपयोग व उपभोग कर सके। प्रार्थीगण ने गैर खातेदारी से खातेदारी अंकित करवाने के लिये सक्षम अधिकारियों के समक्ष प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया परन्तु कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिपक्षीगण के यहॉ से उपरोक्त भूमि से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज तथा रिकार्ड तलब किया जाकर उनको आवश्यक निर्देश दिये जावे कि वह प्रार्थीगण के नाम उक्त भूमि की खातेदारी से खातेदारी दर्ज करने के लिए नामान्तरकरण तस्दीक कर तथा अमल दरामद करावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, अधीनस्थ प्रकरण में गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया है, जो प्रशासनिक प्रक्रिया है प्रस्तुत प्रकरण न्यायालय के क्षेत्राधिकार एंव श्रवणाधिकार में नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो। जिला कलेक्टर टोंक	

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:04:22 IST
Reason: SelfAttested